

प्रेषक,  
उमेश कुमार,  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन  
सेवा में,  
महानिबन्धक,  
मा0 उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 13 दिसम्बर,2017

विषय- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए ग्राम देवघाट (झलवा) में प्रस्तावित न्याय ग्राम टाउनशिप में आडीटोरियम भवन, जुडिशियल एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ट्रेनिंग सेन्टर तथा लाइब्रेरी आदि अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र स0-540/अवस्थापना सेल(मा0 उच्च न्यायालय), दिनांक 02-12-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लिए ग्राम देवघाट (झलवा) में प्रस्तावित न्याय ग्राम टाउनशिप में आडीटोरियम भवन, जुडिशियल एकेडमी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ट्रेनिंग सेन्टर तथा लाइब्रेरी आदि अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आगणन रू031997.30 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में रू04500.00 लाख (रूपये पैतालीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- चूंकि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु 30प्र0 लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद को उपलब्ध कराने हेतु महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता है ।
- 2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।
- 3- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप जनपद न्यायाधीश/निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- 4- निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक बैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरण क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- 5- निर्माण कार्य आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों के अनुसार कराया जायेगा, इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य कराना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा। यदि अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में न तो स्वीकृत है, और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में अचछादित है।

7- लागत आकलन प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10- प्रायोजना में वर्क टू बी डन की लागत हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

11- प्रायोजना में लिफ्ट, एलटी पैनल, डी0जी0 सेट, सिक्योरिटी लाइट, गेट लाइट, लान लाइट, स्टेज लाइटिंग, साउण्ड सिस्टम, प्रोजेक्टर/स्क्रीन, ट्रांसफार्मर, एच0टी0 केबल, आडीटोरियम हेतु चेयर्स आदि की लागत एकमुश्त/ कोटेशन के आधार पर की गयी है । इसे इंडिकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है । अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें, तथा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाय ।

12- प्रायोजना में बाउण्ड्रीवाल,सीसीटीवी, बिटुमिनस रोड, यू टाइप ड्रेन, बोरिंग, रेन वाटर हार्विस्टिंग, चेयर्स, एल0टी0 पैनल, डी0जी0 सेट, लान लाइट, लैण्ड स्केप, गेट लाइट, सिक्योरिटी लाइट, लिफ्ट बीआरएफ एयरकन्डीशन, साउण्ड सिस्टम, प्रोजेक्ट/ स्क्रीन, स्टेज लाइट, एचटी सर्विस कनेक्शन, एचजी केबल एवं ट्रांसफार्मर की लागत का प्राविधान एकमुश्त किया गया है । अतः इन कार्यों का स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुरूप विस्तृत लागत आगणन का गठन किया जाय तथा इस विस्तृत लागत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाय ।

13- भविष्य में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अलग से आगणन का गठन किया जाय ।

14- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

15- निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं शर्तों तथा प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 एवं 29 अगस्त, 2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। दिनांक 01 सितम्बर, 2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है। इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन- 051-निर्माण - 04-मा0 उच्च न्यायालय में निर्माण - 00- 24- वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12-1353(1)/दस-2017, दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

**सं0- 146 /2017/1891(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद।
- 3- निबन्धक, (प्रोटोकाल)मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।  
वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन इन्दिरा भवन, इलाहाबाद।
- 4- मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद।
- 6- वित्त ई- 12 / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट)।

आज्ञा से,

( सन्त लाल )

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।